

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण  
करण कुमार पुत्र भीखाराम जाति मेघवाल  
निवासी लुणावा तहसील बाली चणौरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/440  
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
1607 25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम जादरी स्थित भूमि खसरा नंबर 128, 129, 130 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.8200 हैक्टर किस्म बारानी अब्बल कुल लगान 26.7400 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बेडल एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



3  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी व मुकदमे इन्वेटरी  
(ओ 20 रूल 6, 7 जाका वीवापी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पब्लिक उपलब्ध अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)  
बहुजलारा श्री दिनेश विश्वाई, आर.ए.एस.

वादीगण  
करण कुमार पुत्र भीखाराम जाति भेषवाल  
निवासी लुणावा तहसील बाली जमीरा

बनाम

प्रतिवादी  
राजस्थान सरकार जरिये  
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली


किस्म मुकदमा राजस्व चाद GCMS NO, 2025/  
चाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज चारते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिव मुद्दई व ..... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम जादरी स्थित भूमि खसरा नंबर 128, 129, 130 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.8200 हैक्टर किस्म बरानी अब्बल कुल लगान 26.7400 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बेडल एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्टा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16/07/25 को जारी की गई।



(दिनेश विश्वाई)  
राजस्थान सरकार के उपलब्ध अधिकारी, बाली



बालेश्वर (म.ख.) बाली

उपखण्ड  
मैरुलाल सिंसोविद्या  
प्रशासक  
ग्राम पंचायत-बेडल  
पंचायत समिति-बाली

राजेंद्र सिंह  
मू-अभिलेख निरीक्षक, खुडाला  
तहसील-बाली (पाली)

पाली, तहसील : 190 बाली, RI : 1/29 खुडाला, Halkas : 04493 बेडल, गाँव : 16964 जादरी, Sheet No :